दिनांक	कार्यवाही
24/6/21	... स्थानीय लॉकडाउन ... द्वारा न्यायिक कार्यों के स्थगन निर्देश/स्थानीय बार एसोसियेशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन के पश्चात् पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित ... पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर/दौरे पर/मुख्यालय के बाहर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/7/21 को पेश हो।
15/7/21	वकुलाय फरीकैन उप०। राजस्व मण्डल राज. अजमेर के परिपत्र सं. 3578 दिनांक 10/6/21 के अनुसरण में पत्रावली वास्ते बहस 9/9/21 को पेश हो।
9/9/21	वकुलाय फरीकैन उप०। दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस हेतु अवसर चाहते, न्याय हित में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/9/21 को पेश हो।
23/9/21	पत्रावली आज प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर आज पेश मिसल से तलब की गई। मिन अपीलांट व रेस्पो. द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस के मध्य राजीनामा हो गया है

अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने में
मिन असल रेस्पोंडेन्ट्स को कोई आपत्ति नहीं
है। साथ ही यह भी अंकन किया गया कि
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य
निर्णय व प्रारंभिक डिक्री को निरस्त कर
मौके, कब्जे व राजस्व रिकार्ड के अनुसार बनाये
राजीनामा निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित जाने
में तथा अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली
रिमाण्ड किये जाने में पक्षकारान को कोई
आपत्ति नहीं है दोनो प्रार्थनापत्र शा० मि०।
पत्रावली पर अपीलांटस सं० 1, 3, 4 को हस्ताक्षर
लिए। अपीलांट संख्या सं० 2 की ओर से अधिवक्ता
द्वारा राजीनामा की सहमति दी गई। रेस्पों० सं०
1 लगा० 3 उपस्थित। चूंकि अपीलांट/रेस्पो०
अधिवक्ता द्वारा सभी पक्षकारान की पहचान
की जा चुकी है अपीलांट अपील को
रिमाण्ड करवाना चाहते है जिस पर सभी
रेस्पोंडेन्टस को कोई आपत्ति नहीं है वरन
सहमति व्यक्त की है
इस सहमति के आधार पर यह निर्णय पारित
किया जाता है कि अदालत मातहत के निर्णय
व फाइनल डिक्री दिनांक 2/11/2016 संशोधित
निर्णय व डिक्री दिनांक 14/11/16 के वाद सं० 1/189/18
के निर्णय को निरस्त किया जाता है पत्रावली
अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ
प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभय पक्षकारान
को सुनकर/सुनवाई का उचित अवसर देकर
सहमति के अनुसार कुरेजात/विभाजन
प्रस्ताव तैयार कर विधिवत निर्णय व डिक्री

Sd/-
on leave
Sd/-
जगरा
आ.मं.
मूंगी
I.D.
N/C
23.9.21

रोहिताश्व / ज्यारसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
	निर्णय को इजलास सुनाया गया। पत्रावली को इसी स्तर पर निर्णित किया जाकर दफ्तर दाखिल किया जावे। नम्बर से कम हो।	